राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3080/2023

सुरेन्द्र सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.11.2023
आदेश की दिनांक : 03.11.2023
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि यह कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.04.2023 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था उसके अनुसरण में अपीलार्थी ने श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड—III लेवल—2 एसएसटी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और वह परीक्षा में सफल रहा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2023 द्वारा (अनुलग्नक—2) द्वारा अध्यापक ग्रेड—III लेवल—2 एसएसटी के पद पर चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया और उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर अंकित किया गया और उन्हें लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या—3 के आदेश दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड—III लेवल—2 एसएसटी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालडी, लक्ष्मणगढ़, सीकर में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 08.10.2023 (अनुलग्नक—3) द्वारा नव पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 10.10.2023 (अनुलग्नक—4) द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ, सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

पालडी, लक्ष्मणगढ़, सीकर में कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु आवेदन किया, लेकिन अपीलार्थी को अनुमति नहीं दी गई और पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेने को कहा गया। अपीलार्थी ने नव पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर के समक्ष दिनांक 12.10.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 एसएसटी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ी, लक्ष्मणगढ़, सीकर में कार्यभार ग्रहण करवाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य